प्रेस नोट दिनांक 25.09.2025

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

➡थाना आसपुर देवसरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई – कुल 501.01 ग्राम एमडी (Methamphetamine Drugs) (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 05 करोड़ रूपये) नशीला पदार्थ बरामद , 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡नशे के कारोबार पर पुलिस का प्रहार – थाना आसपुर देवसरा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

➡एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही – कुल 501.01 ग्राम एमडी (Methamphetamine Drugs) नशीला पदार्थ व 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद

➡थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत विझला नहर पुलिया के पास से अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, **अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी** के कुशल पर्यवेक्षण/नेतृत्व में **थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह मय हमराह** द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी/नाजायज कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 24.09.2025 को थाना प्रभारी विजेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार अंचल, हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 सर्वेश पाण्डेय, का0 अजीत चौहान, चालक का0 सुनील सिंह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत विझला नहर पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 01- आशीष पुत्र लक्ष्मीकान्त निवासी गजेरिया थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 26 वर्ष, 2- शिवम पुत्र राकेश निवासी बीरमऊ थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को **कुल 501.01 ग्राम एमडी (Methamphetamine Drugs) नशीला पदार्थ व 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो** के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर **थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 276/25 धारा 22C NDPS Act बनाम 01- आशीष, 2- शिवम** के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो को धारा 207एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण - गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों द्वारा बरामद एम.डी. के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया गया कि हम लोग एम.डी. नशीला पदार्थ को इसी मोटर साइकिल से बेचने जा रहा थे। एम.डी. नशीला पदार्थ को बेचकर हम लोग जिविकोपार्जन करते हैं। बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछा गया तो अभियुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि यह मोटर साइकिल मेरे पिता के नाम से है, जिससे हम लोग नशीला पदार्थ बेचने में प्रयोग करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- आशीष पुत्र लक्ष्मीकान्त निवासी गजेरिया थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 26 वर्ष।

02- शिवम पुत्र राकेश निवासी बीरमऊ थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- आशीष पुत्र लक्ष्मीकान्त निवासी गजेरिया थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 26 वर्ष।

01- मु0अ0सं0-80/22 धारा 341/506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01- कुल 501.01 ग्राम एमडी (Methamphetamine Drugs) नशीला पदार्थ।

02- एक अदद पैशन प्रो मोटरसाइकिल।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी विजेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार अंचल, हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 सर्वेश पाण्डेय, का0 अजीत चौहान, चालक का0 सुनील सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

"नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।"

श्री दीपक भूकर
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़